an>

Title: Regarding demolition of Religious places in Maharashtra built illegally on the direction of Supreme Court.

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में मेरे संसदीय क्षेत्र में 28 अक्टूबर, 2015 को चार मंदिर जो कम्पाउंड के अंदर थे, एमआईडीसी के बजाज नगर परिसर में थे और एक चर्च को तोड़ दिया गया। ऐसे 1,389 मंदिर, मस्जिद, बौद्ध विहार, गिरजा घर, गुरुद्वारे के लिए नोटिस दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश ऐसा नहीं है, लेकिन उसके आड़े हमारा प्रशासन यह काम कर रहा है। मंदिर तोड़ते समय काफी मॉब जमा हुआ। मैंने रोका था। लेकिन आज ऐसे मंदिरों के बारे में नोटिस निकले हैं जो 300-400 साल पुराने हैं। जैसे मेरे क्षेत्र में नाथ मंदिर, दत्त मंदिर, मस्जिद, दरगाह, गुरुद्वारा आदि हैं। मैंने अहलुवालिया साहब को बताया कि 400 साल पुराना गुरुद्वारा है। वे खुद आए थे। उसे भी इलीगल बता दिया गया यानी तोड़ने की कोशिश है। अगर ऐसे हुआ तो कैसे चलेगा। माननीय बाला साहब ठाकरे जी की कुल दैवत कारला देवी, जो लोनावाला के पास पुणे डिस्ट्रिक्ट में है, वह कई वर्षों से है। उसे भी तोड़ने के बारे में नोटिस दिया गया है। प्रशासन ऐसे बता रहा है कि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश ऐसा नहीं है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से विनती करूंगा कि वह सिविल कोर्ट में अपना रिव्यू पिटिशन दाखिल करे।...(व्यवधान) जैसे महाराष्ट्र में 40 हजार मंदिरों के बारे में नोटिस है। एक बाबरी ढांचा गिर गया।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: S/Shri Bhairon Prasad Mishra, Arvind Sawant, Shrirang Appa Barne, Rahul Shewale, are Dr. Shrikant Eknath Shinde permitted to associate with the matter raised by Shri Chandrakant Khaire.